राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 222/2008

जैतराम महोलिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थी

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2008
आदेश की दिनांक : 17.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 29.11.1994 एवं 29.11.2002 से सभी पारिणामिक लाभ सहित एवं शेष राशि पर ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 11.09.1981 को हुई थी और उसे अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 17.11.1984 के द्वारा पदोन्नत किया गया और राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 25.01.1992 के द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया, जिसके अनुसार अपीलार्थी भी चयनित वेतनमानों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी दिनांक 29.11.1994 से प्रथम चयनित वेतनमान एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 29.11.2002 से प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.05.2004 के द्वारा स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया। परंतु अपीलार्थी को उक्त चयनित वेतनमानों से वंचित रखा गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा

न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को भिजवाया और अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 29.11.1994 एवं 29.11.2002 से सभी पारिणामिक लाभ सहित एवं शेष राशि पर ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1981 में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और वर्ष 1984 में अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को अधिसूचना दिनांक 25.01.1992 के तहत प्रथम चयनित वेतनमान प्रदान नहीं किया जा सकता। तदुपरान्त 18 वर्ष की सेवा दिनांक 23.09.1999 को पूर्ण हुई, परंतु वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.1998 के द्वारा पूर्व के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 का अधिक्रमण किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सकता और 10 वर्ष की सेवा उपरांत अपीलार्थी को दिनांक 01.07.1998 से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला प्रदान कर दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी उक्त चयनित वेतनमानों का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 11.09.1981 को हुई थी और उसे अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 17.11.1984 के द्वारा पदोन्नत किया गया। जहां तक अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर नहीं दिए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.11.1984 के द्वारा अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी अधिसूचना दिनांक 25.01.1992 के तहत प्रथम चयनित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अपीलार्थी की 18 वर्ष की सेवा दिनांक 23.09.1999 को पूर्ण हुई, परंतु हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.1998 के द्वारा पूर्व के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 का अधिक्रमण किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सकता और 10 वर्ष की सेवा उपरांत अपीलार्थी को दिनांक 01.07.1998 से वरिष्ठ

वेतन श्रृंखला 6500–10500 प्रदान कर दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य